

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}  
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर  
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

छिन्द्रपाल कौर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नं. 31/2021

निर्णय दिनांक :- 21.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादिया अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह, बलवीर सिंह पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 8 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 45/45 की कुल 15.105 हैक्टर नहरी मय बाग मय गैरमुमकिन खाला भूमि में अंकित नाम छिन्द्रपाल कौर पत्नी छोटा सिंह के स्थान पर छिन्द्रपाल कौर पत्नी छोटा सिंह उर्फ दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी रामगढसंगर अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 21.10.2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00



क्रमांक: राजस्व/ 2021/ 382

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

दिनांक 21/10/21

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्री करणपुर जिला श्रीकरणपुर  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर